

॥ कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त चाकसू जयपुर दक्षिण ॥

क्रमांक

दिनांक 25.1.2021

श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय

जयपुर दक्षिण

विषय_सी एम परिवाद ज्ञानेश बजरी को बदला डस्ट मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि थानाधिकारी थाना शिवदासपुरा ने परिवाद के संबंध मे इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि बजरी को बदला डस्ट मे के संबंध मे दिनांक 3.9.2020 को श्रीमान एसीपी साहब चाकसू ने जरीये टेलिफोन सूचना दी की लालबाग के पिछे गली मे अवैध बजरी से भरे डम्पर खडे है आदि सूचना पर श्रीमती भारती उ.नि को मय जाप्ता के भेजा गया जिन्होने अपनी वापसी मे दोनो डम्परो मे अवैध बजरी होने व वाहनो के चालको के पास कोई दस्तावेज नही होने पर दोनो डम्परो को धारा 207 मे जब्त करना बताया है तथा अवैध बजरी के खिलाफ कार्यवाही हेतू माईनिंग विभाग के अधिकारीयो को सूचित करना बताया हैं लेकिन दूसरे दिन अवैध बजरी के खिलाफ कार्यवाही हेतु माईनिंग विभाग के अफसरों ने थाने पर आकर चैक किया तो उन्होने अपनी रिपोर्ट मे एक डम्पर मे बजरी के बजाय डस्ट होना बताया हैं । उक्त बजरी व डस्ट के संबंध मे विजलेन्स विभाग पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा जांच की जा रही हैं। रिपोर्ट श्रीमान की सेवामे प्रेषित हैं।

भवदीय

सहायक पुलिस आयुक्त

चाकसू जयपुर दक्षिण